जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2021/mmp/63 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | बुधवार, 14 अप्रैल 2021

भाग-1

जे.डी.ए. के क्षेत्राधिकार में स्थित सुशीलपुरा नाले में द्रव्यवती नदी के पास स्थित कृषि भूमि पर बस्ती बसाने का खेल!!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

सुशीलपुरा नाले में द्रव्यवती नदी रीवर फ्रंट से सटी कृषि भूमि पर बस रही बस्तियां!!!
जहाँ वोटों के लालच में लाइट,सड़के जैसी सुविधाएँ विकसित कर दी गयी है!

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- सुशीलपुरा

अंतिम चोसला आधार सम्वत :- 2073 - 2076 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी

पटवार हल्का :- खातीपुरा

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

भू.अभि.नि. :- बस्सी सीतारामपुरा

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

तहसील :- जयपुर

खाता संख्या नया :- 39

जिला :- जयपुर

खाता संख्या पुराना :- 36

काश्तकार का नाम:-

1. भैरा पुत्र कालू हिस्सा- पूर्ण जाति- कीर सा. देह खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
115	0.1012	खातली 1	0.0885	3.15			
		बंजड डोल	0.0127	0.03			
117	0.1265	खातली 1	0.1265	4.50			
118	0.1138	खातली 1	0.1138	4.05			
119	0.1138	खातली 1	0.1138	4.05			
121	0.1012	खातली 1	0.1012	3.60			
124	0.0506	कृषि मंडी	0.0506	1.50			
कुल खसरे - 6	0.6071		0.6071	20.8800			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है |

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है |

नकल जारी करने की तिथि :- 14-Apr-2021

NIC

राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ग्राम सुशीलपुरा पटवार हल्का खातीपुरा में स्थित खसरा संख्या 115,117,118,119,121,124 जिसकी कुल भूमि 0.6071 हैक्टर है,की जमाबंदी भैरा पुत्र कालू जाति कीर के नाम बोल रही है|जिसकी 1998 में मृत्यु होने के पश्च्यात अब इस जमीन को उसके वारिसान रजिस्ट्री करवा-करवा कर विभिन्न खरीददारों को बेच रहे है|

सुशीलपुरा नाले में द्रव्यवती रीवर फ्रंट के पास स्थित कृषि भूमि पर बस गयी बस्ती|

यह कहानी जे.डी.ए. के क्षेत्राधिकार में स्थित सुशीलपुरा नाले में द्रव्यवती नदी के पास स्थित कृषि की है,इस जमीन पर बरसों से भू-माफियाओं की गिद्ध दृष्टि गढ़ी हुई है,विगत 20 सालों में इस कृषि भूमि पर कई बार बस्तियां बसाने की कोशिशे की जा चुकी है और कई बार जे.डी.ए. इन अवैध बस्तियों को उजाड़ भी चूका है,परन्तु भूमाफियाओं और जे.डी.ए. अधिकारीयों की मिलीभगत का नतीजा देखिये हर कार्यवाही के बाद इस कृषि भूमि पर बस्तियां बस जाती है|परन्तु इस बार भूमाफियाओं द्वारा बड़े सुनियोजित तरीके से इस जमीन पर कब्जे किये जा रहे है जिसकी भनक जे.डी.ए. के जिम्मेदार अधिकारीयों को भी है अब इस सुनियोजित साजिश में लगता है कि अब जे.डी.ए. के अधिकारीयों का हिस्सा भी तय हो चुका है तभी तो इस मामले में लाख शिकायतें करने के बावजूद जिम्मेदार गहरी नींद में सोये हुए है|

राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ग्राम सुशीलपुरा पटवार हल्का खातीपुरा में स्थित खसरा संख्या 115,117,118,119,121,124 जिसकी कुल भूमि 0.6071 हैक्टर है,की जमाबंदी भैरा पुत्र कालू जाति कीर के नाम बोल रही है|जिसकी 1998 में मृत्यु होने के पश्च्यात अब इस जमीन को उसके वारिसान रजिस्ट्री करवा-करवा कर विभिन्न खरीददारों को बेच रहे है|

स्थानीय सूत्रों के अनुसार इस कृषि भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा कॉलोनियां काट कर कई लोगो को बेचा जा चूका है,जिन्होंने इस कृषि भूमि पर फैक्ट्रियां,गोदाम,मकान बना लिए है|अब तो हद है कि इस कृषि भूमि पर बिजली के खम्बे ,पक्की सड़के तक बन चुकी है|इस कृषि भूमि पर से कब्जे हटाने की मुहीम में जे.डी.ए. कई बार अवैध निर्माणकर्ताओं को नोटिस भी जारी कर चुका है और मुहीम चला कर कब्जे भी हटा चूका है परन्तु यह केवल फौरी कार्यवाही ही सिद्ध होती है|

जेडीए का अब जीरो टालरेंस • बैठक में महत्वपूर्ण फैसला

अतिक्रमण की 3 कैटेगरी; व्यावसायिक सरकारी इमारत और आवास पर अवैध निर्माण

इन्फ्रा रिपोर्ट | जयपुर

शहर में अवैध निर्माण; अब होगी सख्त कार्रवाई

शहर में बढ़ते अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर लगाम कसने के लिए जेडीए ने नए सिरे से तैयारी शुरू कर दी है। जेडीए ने शहर में अवैध निर्माण, अतिक्रमण को रोकने के लिए तीन कैटेगरी बनाई है। जेडीसी गौरव गोयल की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्रवर्तन शाखा की मीटिंग में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया और प्रवर्तन शाखा को जीरो टोलरेंस की नीति पर काम करने के निर्देश दिए।

कॉर्डिनेशन से काम करेगी जोन और प्रवर्तन शाखा, एसओएस सिस्टम डवलप होगा: जेडीसी गौरव गोयल ने बताया कि कई मामलों में जोन और प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों के बीच कॉर्डिनेशन नहीं होने से मामले का निस्तारण नहीं हो पाता ऐसे में जोन और प्रवर्तन शाखा के बीच कॉर्डिनेशन बनाने के निर्देश दिए है। मुख्य नियंत्रक प्रर्वतन रघुवीर मीना ने बताया कि अवैध निर्माण, अतिक्रमण की शिकायतों पर कार्रवाई के लिए एसओएस यानि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाएगा, इसमें स्टेप-टू-स्टेप काम होगा। सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के बाद मौके पर तारबंदी और चाउंड़ीवाल बनाने के टेंड़र जारी होंगे। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स और रिहायशी आवास पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई की नीति निर्धारित होगी।

- **पहली कैटेगरी** – सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और निर्माण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के साथ कार्रवाई की जाएगी।
- **दूसरी कैटेगरी**– व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स में नियम विरुद्ध निर्माण, समुचित पार्किंग सुविधा, भवन निर्माण में 60:40 अनुपात की पालना, फायर फाइटिंग सिस्टम, लाइटनिंग अरेस्टर आदि नियमों को पूरी तरह से पालना होगी। नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई।
- **तीसरी कैटेगरी** – निजी आवास निर्माण के दौरान अवैध निर्माण नहीं करने के समझाइश होगी, आदतन शिकायतकर्ताओं द्वारा बार-बार शिकायत करने पर पहले निरीक्षण कर जांच की जाएगी, नियम विरुद्ध निर्माण पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कृषि भूमि पर अवैध कालोनी बसाने पर राजस्थान टीनेंसी एक्ट की धारा 175 के तहत संबंधित उपखंड अधिकारी के यहां खातेदारी निरस्त की अपील की जाएगी।

बड़े भूमाफिया का है काम

सूत्रों के अनुसार इस कृषि भूमि पर बस्ती बसाने के पीछे नकली शराब का धंधा करने वाले स्थानीय गुंडे/हिस्ट्रीशीटर का हाथ है,जो जे.डी.ए. अधिकारीयों से सांठ गाँठ कर इस कृषि भूमि पर बस्ती बसाने की साजिश को अंजाम दे रहा है|

पूर्व में पुनर्वास किया जा चूका है यहाँ के निवासियों को|

सूत्रों के अनुसार जे.डी.ए. पूर्व में अभियान चला कर यहाँ के लोगो को पुनर्वास योजना के तहत अन्यंत्र बसा चूका है परन्तु उसके बावजूद यह लोग पुनः यहाँ आकर भूमाफियाओं के साथ मिलकर बस्ती बसाने की साजिश रच रहे है|

क्या यही है जे.डी.ए. की जीरो टोलरेंस निति

जे.डी.ए.के अधिकारी सरकारी जमीनों/कृषि भूमि पर हो रहे अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों के विरुद्ध जीरो टोलरेंस की निति की बात करते है परन्तु शहर की प्राईम लोकेशन पर स्थित इस कृषि भूमि पर हो रहे सुनियोजित अतिक्रमणों और अवैध निर्माणों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर भूमाफियाओं के हौंसले बुलंद कर रहे है,देखना यह है कि हमारे द्वारा जे.डी.ए. के जिम्मेदार अधिकारीयों के संज्ञान में लाने के बाद वह इस सरकारी जमीन को कब्ज़ा मुक्त कर भूमाफियाओं के विरुद्ध मामले दर्ज करेंगे या फिर इस मामले को वापिस फाईलों में दफ़न कर देंगे|